स0सं0—07 / विविध—28—56 / 2021—22 - 270 (7B)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक—25 / 06 / 2026

विषय:— बिहार राज्य में अगले 5 (पाँच) वर्षों (वित्तीय वर्ष 2022—23 से 2026—27 तक) के लिए कुल राशि रु० 300 करोड़ (तीन सौ करोड़ रुपये) के अनुमानित लागत के साथ "मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना" को चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध चालू वित्तीय वर्ष 2026—27 में रू० 6,60,00,000 / —(रूपये छः करोड़ साठ लाख) मात्र व्यय निमित विमुक्ति कीस्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सबध मे कहना है कि बिहार राज्य मे अगले 5 (पॉच) वर्षो (वित्तीय वर्ष 2022—23 से 2026—27 तक) के लिए कुल राशि रु० 300 करोड (तीन सौ करोड रुपये) के अनुमानित लागत के साथ "मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थयोजना" को चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या—104(7), दिनाक—11.07 2022 द्वारा प्रदान की गयी है।

2— इस योजना हेतु अब तक आवटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है—

क्र0 स0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 मे)	व्ययादेश सं0 / आवंटनादेश सं0 एवं दिनांक
1	2022—23	91,00,00,000 / —	स0—216(7), दिनाक—28.09 2022 एवं शुद्धि पत्र सख्या—223(7), दिनाक—10 10 2022
2	2022—23	9,00,00,000 / —	सं0—453(7), दिनांक—13 02 2023
3	2024—25	17,55,90,000 / —	स0—76(7), दिनांक—19 06.2024
4	2024—25	36,57,00,000 / —	सं0—99(7), दिनाक—11.07.2024
5	2025—26	20,98,00,000 / —	स0—152(7), दिनाक—16 07.2025
कुल योग—		1,75,10,90,000 / —	

3— वित्तीय वर्ष 2026—27 मे उक्त योजना हेतु रू० 6,60,00,000 / —(रूपये छ करोड साठ लाख) मात्र की व्यय निमित विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4— राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को आमजनो तक सुलभ करने एवं Digital तकनीक के माध्यम से इसका अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य मे डिजिटल हेल्थ योजनाप्रारभ किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके लिए इस योजना के माध्यम से आम जनो को निम्नाकित सुविधा प्रदान किए जाने का उद्देश्य है —

(i) बुनियादी चिकित्सीय जॉच एव सामुदायिक स्वास्थ्य पहल का स्वचालीकरण (Automation) करना।

(ii) राज्य की जनता के लिए 24X7 आपातकालीन चिकित्सीय सुविधा एव विशेषज्ञ चिकित्सकों का परामर्श प्राप्त करने की स्वचालित तकनीक के माध्यम से व्यवस्था करना।

(iii) राज्य की जनता के स्वास्थ्य का अनुश्रवण एव उसमें सहयोग प्रदान करना।

(iv) मरीजों के लिए आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ/उच्च चिकित्सीय सुविधा केन्द्रों पर रेफर करने एवं उनके आवागमन की निर्बाध सुविधा प्रदान करने में डिजिटल तकनीक का प्रयोग करना।

(v) मरीजों के चिकित्सीय जॉच एवं परामर्श को डिजिटल तकनीक के माध्यम से संधारित करना, ताकि किसी भी चिकित्सीय सस्थान में उन्हें जाँच रिपोर्ट का कागज ले जाने की आवश्यकता नही हो।

5– राज्य की जनता को उपर्युक्त लाभ प्रदान किए जाने के साथ ही इस योजना से राज्य के स्वास्थ्य सुविधा की प्रशासनिक एवं सस्थागत व्यवस्था को सुदृढ करने में भी काफी सहायता मिलेगी। इस क्रम मे इस योजना के माध्यम से निम्नलिखित कार्य आसान हो जायेंगे :–

(i) पेशेवर चिकित्सीय व्यवस्था एव सहायता की उपलब्धता एव उनका अनुश्रवण आसानी से हो सकेगा।

(ii) राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था एवं कार्य प्रणाली का एकरूप मानक तैयार करने में आसानी होगी।

(iii) राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में सलग्न कर्मियों/सस्थानों/उपकरणे की कार्यक्षमता एव कार्य प्रणाली का बेहतर प्रबंधन हो पायेगा तथा साथ ही साथ इसके परिणामो का भी बेहतर विश्लेषण हो पायेगा।

(iv) राज्य में उपलब्ध स्वास्थ्य व्यवस्था का डिजिटल तकनीक के माध्यम से एकीकरण हो सकेगा।

(v) राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था एवं आम जनो के Health Records के ऑकडे डिजिटल तकनीक के माध्यम से उपलब्ध रहने पर भविष्य के नीति निर्माण में इनका उपयोग हो सकेगा।

6– उपर्युक्त उद्देश्यो की प्राप्ति तथा नालदा एवं मुजफ्फरपुर जिले मे प्रयोगात्मक रूप से डिजिटल हेल्थ कार्यक्रम के उत्साहवर्धक परिणाम के फलस्वरूप बिहार राज्य में अगले 5 (पॉच) वर्षो (वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2026–27 तक) के लिए कुल राशि 300 करोड (तीन सौ करोड रुपये) के अनुमानित लागत के साथ "मुख्यमत्री डिजिटल हेल्थयोजना" को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना है।

7– मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना मे Hospital Information Management System (HIMS), Enterprises Resource Planning (ERP), Community Service Management System(CSMS). Electronic Health Record (EHR). Citizen Web Portal, Integrated with Existing Applications. ABDM Roll Outएवंcommand and Control Centre का एकीकृत समावेश रहेगा। मुख्यमत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत प्रस्तावित Application को एक Secured Cloud Server पर Deploy किया जाएगा तथा इस कार्यक्रम के सफल सचालन हेतु सभी सम्बन्धित कर्मियो को प्रशिक्षित किया जाएगा। योजना के पॉच साल पूर्ण होने के उपरात इस योजना का सचालन विभाग के द्वारा किया जाएगा। इस सदर्भ मे आवश्यक प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

8— इस योजना के अन्तर्गत जो डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा, निम्न रूप में होगा :—

(i) भारत सरकार के द्वारा स्थापित मानकों (आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन) के अनुरूप होगा।

(ii) आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के सभी key components के साथ एक—दूसरे के अनुकूल (Compatible) होगा।

(iii) इस योजना मे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ कोई दोहराव नहीं है अपितु यह दोनो एक दूसरे के अनुपूरक होंगे।

(iv) स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत जितने भी आवश्यक App हैं उनको यथावत या Upgrade करके इसके साथ संबद्ध किया जाएगा।

(v) इस व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त होने वाली अनुपस्थिति विवरणी को वेतन भुगतान से संबंधित App/Platform के साथ सबद्ध किया जाएगा। साथ ही चिकित्सकों की अनुपस्थिति की समस्या के निराकरण में भी मदद मिलेगी।

9— इस योजना का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाना है, जिसके तहत प्रथम वर्ष में इसके Design Development के साथ 3(तीन) जिलो मे Pilot Basis पर Go Live किया जाएगा। इसके पश्चात् दूसरे वर्ष में इसे शेष 35 (पैंतीस) जिलों मे Roll Out किया जाएगा।

10— इस योजना के Design Developmentमे प्रथम वर्ष (2022—23) मे रू0 100 करोड (एक सौ करोड रुपये) द्वितीय वर्ष (2023—24) में लगभग रुपये 80 (अस्सी) करोड तथा शेष तीन वर्षो (2024—25, 2025—26 एवं 2026—27) मे Operation एवं Maintenance के लिए प्रति वर्ष 40 करोड की दर से कुल 120 (एक सौ बीस करोड रुपये) अर्थात् कुल 300 करोड रुपये (तीन सौ) की लागत आकलित किया गया है।

11— यह कार्य राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कराया जाएगा। इस कार्य हेतु निविदा के माध्यम से एजेसी का चयन कर किया जाएगा तथा भुगतान हेतु स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति को राशि आवंटित की जाएगी।

12— इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या—20 मुख्य शीर्ष 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष—03—ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ—ऐलोपैथी—लघु शीर्ष—103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र—उपशीर्ष—0103—स्वास्थ्य केन्द्रों का जीर्णोद्धार—सात निश्चय—2 विपत्र कोड—20—2210031030103 अन्तर्गत विषय शीर्ष 28—04 व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ मद में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष मे उपबधित राशि से किया जाएगा।

13— इस राशि की निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव—सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे एव नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

14— अवर सचिव—सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म—46 मे तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नही बल्कि खाता अतरण के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0—PBBPLA011 विपत्र कोड—00-8448001200027-0001 के अन्तर्गत ledger ID मे जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

15— राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना इस राशि का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) एव व्यय के सुसगत भावचर्स/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को सुलभ करायेगे ।

16— राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सख्या—2561 वि0(2), दिनांक— 17.04.98, 8543 वि0(2), दिनाक—27.11.2007, 3758/वि०, दिनांक—31.05.2017 एव 12888/वि०, दिनाक—03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

17— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

18— प्रारूप में आतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सख्या—07/विविध—28—56/2021—22 के पृष्ठ—55/टि0 मे प्राप्त है।

19— प्रस्ताव एव प्रारूप में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है ।

20— संबंधित प्रस्ताव मे महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है ।

21— यह मात्र व्ययादेश है। आवटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक—07/विविध—28—56/2021—22-270 (7B)/स्वा0, पटना दिनाक—25/06/2026

प्रतिलिपि—योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—माननीय मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाये, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।